

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010—भाद्र 26, शक 1932

## भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

### भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्र. 5392-इक्कीस-अ (प्रा.)-शुद्धि-पत्र.— “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), दिनांक 18 अगस्त 2010 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा कोष्ठक के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, अंक तथा कोष्ठक पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक तथा कोष्ठक	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं		शुद्ध शब्द, अंक तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1)		(2)	(3)
अधिनियम	855	9	अधिनियम,
विधेयक,	856	9	अधिनियम,
उपधारा के	856 (1)	29	उपधारा (2) के
Vidheyak,	856 (4)	12	Adhiniyam,

राजेश यादव, अपर सचिव.

## भाग ४ ( ग )

### अन्तिम नियम

#### संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. एफ.-4-13-2010-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1975 में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रारूप संशोधन नियम, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये सूचना क्रमांक एफ-640-737-सं.-2003 दिनांक 18 अक्टूबर 2007 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 नवम्बर 2007 को प्रकाशित की जाकर प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि में आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किये गये थे. चूंकि निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1975 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है —

**प्रवेश फीस.**—कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से अधिक आयु का हो, द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में निम्नलिखित दर से फीस दिये बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा :—

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	फीस की दर (3)
1	भारतीय नागरिक	10.00 रुपये प्रति व्यक्ति
2	विदेशी नागरिक	2 अमेरिकन डालर या 100.00 रु. प्रति व्यक्ति
3	विकलांगों के लिये	निःशुल्क

परन्तु विभागाध्यक्ष, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अवसरों पर तथा ऐसी कालावधि के लिये जैसा कि आदेश में विहित की जाए, राज्य संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में प्रवेश के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.

(2) नियम 38 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) कोई भी व्यक्ति राज्य संरक्षित स्मारक की, जिसके संबंध में नियम 37 के अधीन कोई आदेश नहीं किया गया है, निम्नलिखित दर से फीस का प्रदाय करने पर प्रतिकृतिकरण कर सकेगा, अर्थात् :—

(एक)	वीडियोग्राफी के लिये	100/- रुपये प्रतिदिन
(दो)	छाया चित्रण (फोटोग्राफी) के लिये (बिना फ्लैश एवं स्टेण्ड के).	25/- रुपये प्रतिदिन

## द्वितीय अनुसूची

राज्य संरक्षित ऐसे स्मारक या उसके भाग जिसमें फीस का भुगतान करने पर ही प्रवेश मिल सकता है (नियम 6 देखिये)

क्रमांक	जिला	स्थान	राज्य संरक्षित स्मारक समूह का नाम	स्मारक का वह भाग जिसके लिए फीस देना आवश्यक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भोपाल	इस्लामनगर	1. रानी महल 2. चमन महल 3. गोंड महल	सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण

क्र. एफ.-4-13-2010-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1975 में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रारूप संशोधन नियम, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा सूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2007 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 नवम्बर 2007 को प्रकाशित की जाकर प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि में आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किये गये थे. चूंकि निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1975 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है —

**प्रवेश फीस.**—कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से अधिक आयु का हो, द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में निम्नलिखित दर से फीस दिये बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा :—

अनुक्रमांक	व्यक्ति	फीस की दर
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय नागरिक	10.00 रुपये प्रति व्यक्ति
2	विदेशी नागरिक	5 अमेरिकन डालर या 250.00 रु. प्रति व्यक्ति
3	विकलांगों के लिये	निःशुल्क

परन्तु विभागाध्यक्ष, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अवसरों पर तथा ऐसी कालावधि के लिये जैसा कि आदेश में विहित की जाए, राज्य संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में प्रवेश के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.

(2) नियम 38 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) कोई भी व्यक्ति राज्य संरक्षित स्मारक की, जिसके संबंध में नियम 37 के अधीन कोई आदेश नहीं किया गया है, निम्नलिखित दर से फीस का प्रदाय करने पर प्रतिकृतिकरण कर सकेगा, अर्थात् :—

(एक)	वीडियोग्राफी के लिये	100/- रुपये प्रतिदिन
(दो)	छाया चित्रण (फोटोग्राफी) के लिये (बिना फ्लैश एवं स्टेण्ड के).	25/- रुपये प्रतिदिन

## द्वितीय अनुसूची

राज्य संरक्षित ऐसे स्मारक या उसके भाग जिसमें फीस का भुगतान करने पर ही प्रवेश मिल सकता है (नियम 6 देखिये)

क्रमांक	जिला	स्थान	राज्य संरक्षित स्मारक समूह का नाम	स्मारक का वह भाग जिसके लिए फीस देना आवश्यक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्वालियर	ग्वालियर फोर्ट	1. कर्ण महल 2. विक्रम महल 3. जहांगीर महल एवं शाहजहां महल 4. जौहर कुण्ड 5. भीमसेन राणा की छतरी 6. किला दीवार एवं बुर्ज	सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्ण

क्र. एफ.-4-13-2010-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1975 में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रारूप संशोधन नियम, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा सूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2007 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 नवम्बर 2007 को प्रकाशित की जाकर प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि में आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किये गये थे. चूंकि निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1975 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है —

**प्रवेश फीस.**—कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से अधिक आयु का हो, द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में निम्नलिखित दर से फीस दिये बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा :—

अनुक्रमांक	व्यक्ति	फीस की दर
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय नागरिक	10.00 रुपये प्रति व्यक्ति
2	विदेशी नागरिक	5 अमेरिकन डालर या 250.00 रु. प्रति व्यक्ति
3	विकलांगों के लिये	निःशुल्क

परन्तु विभागाध्यक्ष, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अवसरों पर तथा ऐसी कालावधि के लिये जैसा कि आदेश में विहित की जाए, राज्य संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में प्रवेश के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.

(2) नियम 38 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(1) कोई भी व्यक्ति राज्य संरक्षित स्मारक की, जिसके संबंध में नियम 37 के अधीन कोई आदेश नहीं किया गया

है, निम्नलिखित दर से फीस का प्रदाय करने पर प्रतिकृतिकरण कर सकेगा, अर्थात् :—

(एक)	वीडियोग्राफी के लिये	100/- रुपये प्रतिदिन
(दो)	छाया चित्रण (फोटोग्राफी) के लिये (बिना फ्लैश एवं स्टेण्ड के).	25/- रुपये प्रतिदिन

### द्वितीय अनुसूची

राज्य संरक्षित ऐसे स्मारक या उसके भाग जिसमें फीस का भुगतान करने पर ही प्रवेश मिल सकता है (नियम 6 देखिये)

क्रमांक	जिला	स्थान	राज्य संरक्षित स्मारक समूह का नाम	स्मारक का वह भाग जिसके लिए फीस देना आवश्यक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर	इन्दौर	1. राजवाड़ा	सम्पूर्ण

क्र. एफ-4-13-2010-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम 1975 में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रारूप संशोधन नियम, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये सूचना क्रमांक एफ-640-737-सं.-2003 दिनांक 18 अक्टूबर 2007 जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 नवम्बर 2007 को प्रकाशित की जाकर प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की कालावधि में आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किये गये थे. चूंकि निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1975 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाता है —

**प्रवेश फीस.**—कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से अधिक आयु का हो, द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में निम्नलिखित दर से फीस दिये बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा :—

अनुक्रमांक	व्यक्ति	फीस की दर
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय नागरिक	10.00 रुपये प्रति व्यक्ति
2	विदेशी नागरिक	5 अमेरिकन डालर या 250.00 रु. प्रति व्यक्ति
3	विकलांगों के लिये	निःशुल्क
4	परिसर में स्थित तारामंडल के लिए अतिरिक्त शुल्क (सभी आयु वर्ग के लिये)	10.00 रुपये प्रति व्यक्ति

परन्तु विभागाध्यक्ष, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अवसरों पर तथा ऐसी कालावधि के लिये जैसा कि आदेश में विहित की जाए, राज्य संरक्षित स्मारक या उसके किसी भाग में प्रवेश के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.

### द्वितीय अनुसूची

राज्य संरक्षित ऐसे स्मारक या उसके भाग जिसमें फीस का भुगतान करने पर ही प्रवेश मिल सकता है (नियम 6 देखिये)

क्रमांक	जिला	स्थान	राज्य संरक्षित स्मारक समूह का नाम	स्मारक का वह भाग जिसके लिए फीस देना आवश्यक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर	इन्दौर	1. लालबाग पैलेस	सम्पूर्ण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीना वर्मा, उपसचिव.